**संख्या-113/2016/2525/सैंतीस-2-2016-1(28)/10**

प्रेषक,

**दया शंकर सिंह,**
**संयुक्त सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

सेवा में,

**निदेशक,**
**प्रशासन एवं विकास,**
**पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 नवम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश के सापेक्ष पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-319/सा0-1/एक्स-84/ईएसवीएचडी-सी.एस./2016-17, दिनांक-10.11.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु पुनर्वैध किये गये केन्द्रांश रू0-52.091 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत द्वितीय चरण हेतु स्वीकृत 81 पशुचिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण की परियोजना में से उक्त संदर्भित पत्र के संलग्नक-1 में अंकित अवशेष 20 पशुचिकित्सालयों पर अतिरिक्त उपकरणों/साज-सज्जा की व्यवस्था हेतु राजस्व पक्ष के निम्न मानक मदों में प्राविधानित रू0-20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

| **मानक मद** | **स्वीकृत धनराशि (हजार में)** |
|---|---|
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1160.00 |
| 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र | 780.00 |
| 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति | 60.00 |
| **योग-** | **2000.00** |

**(रूपये बीस लाख मात्र)**

1. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश की जारी की जा रही है।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत उपलब्ध परिव्यय की सीमा तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
6. योजनान्तर्गत सामग्रियों/उपकरणों/मशीनों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों तथा पशुपालन विभाग में प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीनों, उपकरणों आदि के क्रय हेतु निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मानक मद के अतिरिक्त अन्य किसी मद में अनुमन्य नहीं होगा।
8. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0201-पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

**(दया शंकर सिंह)**
संयुक्त सचिव।

**पृ0सं0-113/2016/2525(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव (एल.एच.), भारत सरकार, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मँत्रालय, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)**
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in